तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
5/6/17	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप0। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम शिवाजी नगर, पटवार हल्का कानासर, भु– अभिलेख निरीक्षक– कानासर तह0 शिव के खसरा नम्बर 301/113 रकबा 39 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा – सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है। तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 08 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे। विप्रार्थी संख्या 1 से 04 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एवं विप्रार्थी संख्या 8 की ओर से वकील श्री ब्रजमोहन कुमावत ने वकालतनामा मय जवाब आवेदन व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। शेष विप्रार्थी संख्या 5 से 7 बावजुद सुचना अनु0। अतः सी.पी.सी.Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण को सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थी संख्या 5 से 7 अनुपस्थित। अतः विप्रार्थी संख्या 5 से 7 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थी संख्या 5 से 8 के खेत की सीमा से लगती है। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी के खातेदारी खेत के सेढे पडोसी नही है। अतः विप्रार्थी संख्या 1 से 4 का काउण्टर क्लेम स्वीकार करने योग्य नही है	

Scanned by CamScanner

तथा विप्रार्थीनी संख्या 8 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 390/300 रकबा 45.09 बीघा भूमि ही प्रार्थी के खातेदारी खेत के सेढे लगती है। अतः विप्रार्थीनी संख्या 8 के काउण्टर क्लेम में अंकित खसरा नम्बर 300/113 रकबा 29.11 बीघा भूमि का काउण्टर क्लेम स्वीकार करने योग्य नही है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीनी संख्या 8 के खेत की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

— आदेश —

अतः प्रार्थीगण राणाराम, सवाईराम पिता मगाराम, जाति– कुम्हार नि0 कानासर तह0 शिव का प्रार्थना पत्र एवं विप्रार्थीनी संख्या 8 चंम्पाकंवर पत्नी मुल्तानसिंह, जाति– राजपुत, नि0 सेतरावा तह0 शेरगढ़ जिला जोधपुर का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवाजी नगर, पटवार मण्डल कानासर भु–अभिलेख निरीक्षक – कानासर, तह0 शिव, के खसरा नम्बर 301/113 रकबा 39 बीघा व खसरा नम्बर 390/300 रकबा 45.09 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/– रूपये प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :– 57/2019

क्रमांक/आवेदन/19/ 4371 दिनांक– 22-8-2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
राणाराम पुत्र मगाराम, जाति– कुम्हार, नि0 कानासर तह0 शिव वगैरा (2)		रायमलराम पुत्र अणदाराम वगैरा (08)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी एवं विप्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण मे ग्राम शिवाजी नगर, पटवार हल्का कानासर, भु– अभिलेख निरीक्षक – कानासर के खेत खसरा नम्बर 301/113 रकबा 39 बीघा एवं खसरा नम्बर 390/300 रकबा 45.09 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमीशनर शुल्क 1000/– मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/ 4372-4377 दिनांक– 22-8-2019

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी कानासर को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना **शिव को पालनार्थ।**
5. प्रार्थीगण राणाराम पुत्र मगाराम वगैरा (02) **को सूचनार्थ ।**
6. **विप्रार्थीगण रायमलराम पुत्र अणदाराम वगैरा (08) को सूचनार्थ।**

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 18:05:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: